धारा 135 : आपराधिक मानसिक दशा का अनुमान

इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में, जिसके लिए आपराधिक मानसिक दशा अभियुक्त के भाग पर अपेक्षित है, न्यायालय ऐसी मानसिक दशा की विद्यमानता का अनुमान लगाएगा लेकिन अभियुक्त के लिए यह तथ्य सिद्ध करना एक प्रतिरक्षा होगी कि वह इस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य की बाबत वैसी मानसिक स्थिति नहीं रखता था।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजन के लिए,–

(i) ''आपराधिक मानसिक दशा'' पद में आशय, उद्देश्य, तथ्य का ज्ञान और उसमें विश्वास या विश्वास करने के कारण का तथ्य सम्मिलित है;

(ii) किसी तथ्य को सिद्ध किया हुआ तथ्य केवल तब कहा जाएगा जब न्यायालय उस पर बिना युक्तियुक्त संदेह के विश्वास करता है और जब इसकी विद्यमानता संभावना की अधिकता द्वारा स्थापित है।